

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(357)(वित्त-1)(1)आय व्ययक/2015/

दिनांक : 31 मार्च 2017

कोषाधिकारी,

कोष कार्यालय, जोधपुर शहर।

(स्वीकृति संख्या 1020 /2016-17)

विषय : नगर निगम, जोधपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ55()सी.ई./डीएलबी/एस.टी.पी./जोधपुर/2017/ 18902 दिनांक 30.03.2017 (प्रति संलग्न) में अंकितानुसार नगर निगम, जोधपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि रुपये 499.99 लाख (अक्षरे रुपये चार करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए हस्तांतरित कर दी जावें :-

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

191 - नगर निगमों को सहायता

(30) - पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय

[01] - सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

93 - पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)

राशि रुपये 343.34 लाख

मांग संख्या - 51

[02] - सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

93 - पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)

राशि रुपये 89.15 लाख

मांग संख्या - 30

[03] - सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

93 - पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)

राशि रुपये 67.50 लाख

कुल योग राशि

राशि रुपये 499.99 लाख

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिये ही किया जायेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव महोदय, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
06. आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर।
07. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

वेबसाइट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : एफ55()सी.ई./डीएलबी/एस.टी.पी./जोधपुर/2017/ 18902

दिनांक 30/3/2017

—:: स्वीकृति आदेश ::—

विषय : नगर निगम, जोधपुर क्षेत्र में सालावास में 50 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु स्वीकृति।

मुख्यमंत्री बजट घोषण वर्ष 2012-13 में नगर निगम, जोधपुर क्षेत्र के सालावास में 50 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण हेतु निम्नानुसार राशि रुपये 499.99 लाख (अक्षरे चार करोड़ निम्नानुसार लाख निम्नानुसार हजार मात्र) नगर निगम, जोधपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरण की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(राशि लाखों में)

विकलेय मद	RE वर्ष 2016-17	इस स्वीकृति पर व्यय की राशि
मांग संख्या - 29		
2217 - शहरी विकास		
80 - सामान्य		
191 - नगर निगमों को सहायता		
(30) - पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय		
[01] - सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट		
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) - <u>आयोजना</u>		
93 - पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सर्जन हेतु सहायतार्थ अनुदान	343.34	343.34
मांग संख्या - 51		
[02] - सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट		
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) - <u>आयोजना</u>		
93 - पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सर्जन हेतु सहायतार्थ अनुदान	89.15	89.15
मांग संख्या - 30		
[03] - सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट		
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) - <u>आयोजना</u>		
93 - पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सर्जन हेतु सहायतार्थ अनुदान	67.50	67.50
कुल योग राशि	499.99	499.99

उक्त कार्य पर व्यय करते समय निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे:-

01. उक्त राशि का व्यय, राशि जिस प्रयोजन हेतु राशि स्वीकृत की गयी है उसमें ही किया जावे।

02. राशि का व्यय तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जावे।
इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171700302
दिनांक 23.03.2017 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गई है।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ55()सी.ई./डीएलबी/एस.टी.पी./जोधपुर/2017/ 18903-923 दिनांक 30/3/2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, मा0मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 15 अतिरिक्त प्रतियों भिजवाकर निवेदन है कि राशि नगर निगम, जोधपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरण की स्वीकृति जारी करावे।
06. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा, राज0 जयपुर।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
09. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
10. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
12. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जोधपुर शहर को उक्त राशि नगर निगम, जोधपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरण करने हेतु।
16. आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर को उक्त राशि का निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरण सुनिश्चित करने हेतु।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, जोधपुर।
18. समस्त अधिकारीगण/बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय।
19. प्रभारी वेबसाइट/प्रभारी ई-गवर्नेन्स/ समन्वयक, सी.एम.ए.आर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
20. सुरक्षित पत्रावली।


सहायक अभियन्ता
स्थानीय निकाय विभाग